

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

दिनांक-01.10.2015 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कमजोर रहने के फलस्वरूप सामान्य से कम वर्षा के आलोक में सम्पन्न आपदा प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति :-

1. विकास आयुक्त
2. प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग
3. प्रधान सचिव, कृषि विभाग
4. प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
5. सचिव, जल संसाधन एवं लघु जल संसाधन विभाग
6. सचिव, ग्रामीण विकास
7. सचिव, ऊर्जा विभाग
8. सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
9. संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
10. निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
11. निदेशक, भारत मौसम विज्ञान विभाग

दक्षिण-पश्चिम मानसून 2015 से राज्य में अल्प वर्षापात/सुखाड़ की संभावना को देखते हुए आपातकालीन प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक में विभागवार समीक्षा की गई और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया जो निम्नवत है :-

1. भारत मौसम विज्ञान विभाग

निदेशक, भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा बताया गया कि इस सप्ताह भी राज्य में वर्षापात होने की संभावना नहीं है। दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की वापसी हो रही है। वर्तमान में राज्य में वर्षापात सामान्य से 28 प्रतिशत कम है।

2. कृषि विभाग

प्रधान सचिव, कृषि विभाग द्वारा बताया गया कि अबतक धान की बिचड़े का आच्छादन लक्ष्य के विरुद्ध 95.33 प्रतिशत, धान का आच्छादन 97.91 प्रतिशत एवं मक्का का आच्छादन 89.70 प्रतिशत हुआ है। उनके द्वारा बताया गया कि मानसून की कमजोर स्थिति के मददेनजर धान के उत्पादन के साथ-साथ बड़े क्षेत्रफल में मक्का के उत्पादन पर भी बल दिया गया है। खरीफ 2015 में सामान्य से कम वर्षापात के पूर्वानुमान के आलोक में राज्य में 350000 हेक्टेयर

क्षेत्र में आकस्मिक फसल योजना के अन्तर्गत विभिन्न फसलों के आच्छादन का कार्यक्रम चल रहा है। डीजल सब्सिडी के रूप में 25.78 करोड़ का वितरण किया गया है।

मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि किसानों का फसलवार सूची तैयार कर पहले से जांचकर रखा जाए ताकि डीजल सब्सिडी एवं अन्य कृषि संबंधी अनुदानों के वितरण में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। डीजल सब्सिडी वितरण का प्रतिदिन पर्यवेक्षण किया जाए एवं प्रतिदिन प्रतिवेदन आपदा प्रबंधन विभाग को उपलब्ध कराया जाए। विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों के बैठक कर समीक्षा कर ली जाए साथ ही कृषि विभाग के उप निदेशकों को क्षेत्र भ्रमण कराकर स्थिति का जायजा लिया जाए।

3. लघु जल संसाधन विभाग

सचिव, लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा बताया गया कि यांत्रिक एवं विद्युत दोष के कारण 1760 नलकूप बंद हैं एवं यांत्रिक दोष से बंद पड़े नलकूपों की सं० 1094 तथा संयुक्त दोष से बंद पड़े नलकूपों की सं० 4092 है।

मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि नलकूपों की मरम्मत एवं Channels की मरम्मत अविलम्ब पूरी की जाय और साथ ही शीघ्र नलकूपों को चलाने हेतु कर्मियों की व्यवस्था की जाए एवं नलकूपों से सिंचित होने वाले क्षेत्रफल का प्रतिवेदन की मांग की गयी।

4. ऊर्जा विभाग

सचिव, ऊर्जा विभाग द्वारा बताया गया कि राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति की जा रही है, जो औसत 10 से 12 घंटे है। पूर्व में 174 जले ट्रांसफॉर्मर के विरुद्ध 143 ट्रांसफॉर्मर बदले जा चुके हैं तथा नाबार्ड फेज-XI के 2697 स्कीम के विरुद्ध 2443 को ऊर्जान्वित कर दिया गया है। इसी प्रकार नाबार्ड फेज-VIII के अंतर्गत 1551 स्कीम के विरुद्ध 1243 को ऊर्जान्वित कर दिया गया है।

मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि अल्पवर्षापात की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति जारी रखी जाए तथा ट्रांसफॉर्मर की खराबी से बंद पड़े नलकूपों को शीघ्र ऊर्जान्वित करने की कार्रवाई की जाए।

5. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा बताया गया कि कुल 94699 चापाकल गाड़ने के लक्ष्य के विरुद्ध 25679 चापाकल गाड़ा जा चुका है तथा कुल 94695 चापाकल मरम्मत लक्ष्य के विरुद्ध 68292 चापाकल की मरम्मत की जा चुकी है। विभाग द्वारा हर जिला के प्रत्येक प्रखण्ड के 5 चापाकलों के भू-जलस्तर की मोनेटरिंग की जा रही है। राज्य के दक्षिण भाग के 17 जिलों में माह सितम्बर 2013 की तुलना में किसी भी जिला में औसतन भू-जल स्तर में गिरावट की सूचना नहीं है। राज्य के उत्तरी भाग के 21 जिलों में सितम्बर 2014 की तुलना में किसी भी जिले में भू-जलस्तर में गिरावट की सूचना नहीं है।

मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि विद्युतदोष के कारण खराब नलकूपों की सूची ऊर्जा विभाग को उपलब्ध कराया जाए। यह भी ध्यान दिया जाय कि गुणवत्तापूर्ण पेयजल

की आपूर्ति किया जाय और जहां बोरिंग पुराना हो गया है उसे मरम्मत करने की अविलम्ब कार्रवाई की जाय।

6. जल संसाधन विभाग

सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि कोशी नदी में कुल 78540 घनसेक जलश्राव प्रवाहित हो रहा है। पूर्वी कोशी एवं पश्चिम कोशी नहर प्रणालियों में क्रमशः 10000 तथा 2500 घनसेक जलश्राव दिया जा रहा है। गंडक नदी में वर्तमान में कुल 51500 घनसेक जलश्राव प्रवाहित हो रहा है, जिसमें से तिरहुत नहर प्रणाली में 8000 घनसेक, दोन नहर प्रणाली में 2000 घनसेक एवं त्रिवेणी नहर प्रणाली में 2000 घनसेक जलश्राव दिया जा रहा है। पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली में 10500 घनसेक जलापूर्ति की जा रही है जिसमें से सारण मुख्य नहर प्रणाली में 2700 घनसेक जलश्राव दिया जा रहा है। सोन नदी के इन्द्रपुरी बराज में 10480 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है जिसमें से पूर्व नहर प्रणाली में 3500 घनसेक तथा पश्चिमी नहर प्रणाली में 6980 घनसेक जलश्राव दिया जा रहा है।

प्रमुख जलाशयों में जल भंडारण की स्थिति निम्नवत है:-

क्र०	जलाशय का नाम	कुल संचयन क्षमता	दिनांक-24.09.2015 की स्थिति (फीट में)	दिनांक-01.10.2015 की स्थिति (फीट में)
1	चन्दन	110000	485.00	493.90
2	बदुआ	89000	407.60	414.20
3	ओढ़नी	33550	402.00	405.30
4	ऑजन	20030	382.00	402.40
5	बेलहरना	11805	437.00	448.60
6	खड़गपुर झील	13200	213.20	219.00
7	विलासी	23400	287.40	295.40
8	मोरवे	10800	255.50	270.80
9	नागी	7700	429.40	428.30
10	गरही जलाशय	68500	541.70	545.20
11	कोहिरा	22210	311.30	306.00
12	बटाने	48600	735.90	734.25
13	फुलवरिया	41563	574.90	585.20
14	नकटी जलाशय	11320	442.70	442.30

खरीफ सिंचाई 2015 के दौरान नहरों से किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की स्थिति

क्र०	नहर प्रणाली का नाम	सिंचाई लक्ष्य (हे० में)	सिंचाई उपलब्धि (हे० में) दिनांक-24.09.15 तक	सिंचाई उपलब्धि (हे० में) दिनांक-01.10.15 तक
(क)	सोन नहर प्रणाली :-			
1.	पूर्वी सोन नहर प्रणाली	148450	146184	146184
2.	पश्चिमी सोन नहर प्रणाली	399922	371288	371288
(ख)	कोशी नहर प्रणाली :-			
1.	पूर्वी कोशी नहर प्रणाली	377565	320302	320302
2.	पश्चिमी कोशी नहर प्रणाली	41384	32918	32918
(ग)	गंडक नहर प्रणाली :-			
1.	पूर्वी गंडक नहर प्रणाली	331684	307926	307926
2.	पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली	165846	151320	151320
(घ)	अन्य योजनाएं :-			
		453490	382650	382650
	कुल	1918341	1712588	1712588

सचिव, जल संसाधन विभाग के द्वारा बताया गया कि सोन नदी में पानी कम है, रिहन्द से वर्तमान 10 हजार घनसेक जलस्राव प्राप्त हो रहे हैं, जो कल 13 हजार घनसेक जलस्राव होने की उम्मीद है। नहरों में पानी कम है परन्तु वर्तमान में सिंचाई हो रही है।

मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि नहरों की सभी वितरणी को ठीक करा लें तथा नहरों से अन्तिम छोर तक सिंचाई हेतु पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाए।

7. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा बताया गया कि राज्य में खाद्यान्न की कमी नहीं है एवं खाद्यान्न भंडारित है।

मुख्य सचिव द्वारा शताब्दी अन्न कलश योजना अंतर्गत प्रत्येक पंचायतों/ वार्डों में खाद्यान्न की स्थिति/उपलब्धता के संबंध में ज्ञात करने का निदेश दिया गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी। अगली बैठक दिनांक 09.10.2015 (शुक्रवार) को 5.30 बजे अपराह्न आहूत करने का निर्णय लिया गया।

ह०/-

(अंजनी कुमार सिंह)

मुख्य सचिव

बिहार

ज्ञापांक 1प्रा0आ0-07 / 2014..... / आ0प्र0

पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: कृषि उत्पादन आयुक्त / प्रधान सचिव / सचिव, स्वास्थ्य विभाग / पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग / जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / कृषि विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / ग्रामीण विकास विभाग / उर्जा विभाग / खाद्य एवं उपभोक्त संरक्षण विभाग / निदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग / निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / -

(अनिरुद्ध कुमार)

विशेष सचिव

ज्ञापांक 1प्रा0आ0-07 / 2014... 3842 / आ0प्र0

पटना-15, दिनांक- 6/10/15

प्रतिलिपि: मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी / विकास आयुक्त बिहार के प्रधान आप्त सचिव / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष सचिव